कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 10 / 2023
दायर दिनांक : 06 / 04 / 2023
निर्णय दिनांक : 14 / 02 / 2024

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राहम्ण निवासी बबराना तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविन्द पिता रामनारायण विजयवर्गीय निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
2. मदलाल पिता छोगालाल विजयवर्गीय निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
3. प्रभुलाल पिता रामचन्द्र विजयवर्गीय निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
4. नन्दलाल पिता नगजीराम गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
5. नारू पिता नगजीराम गाडरी निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
6. प्रेमशंकर पिता प्रभुलाल दायमा निवासी बबराना तहसील भूपालसागर
7. कालू पिता उदयराम ब्राहम्ण निवासी बबराना तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रकबे के खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500 रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम बबराना तहसील भूपालसागर की खाता सं. 250 में आ.सं. 1559 रकबा 0.21 है., आ.सं. 1560 रकबा 0.10 है., आ.सं. 1561 रकबा 0.97 है., आ.सं. 1779 रकबा 0.05 है., आ.सं. 1795 रकबा 0.47 है., आ.सं. 1796 रकबा 0.35 है. किता 6 रकबा 2.15 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमाकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करें। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। [illegible] प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण [illegible] नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर [illegible]

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2024.04.04 17:48:55 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर